मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, छिंदवाड़ा

क्रमांक 549....../स्था/राज/18/ दिनांक 19/06/2018

"आदेश"

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र/एफ 2–53/2017/1 /55, दिनांक 12/01/2018 के तहत् सीनियर एवं जूनियर रेसिडेंट के पद एम.सी.आई. मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं जिसके तहत् स्वशासी संस्था की चयन समिति द्वारा विभिन्न विषयों के जूनियर रेसीडेंट के पद पर चयनित किये जाने के फलस्वरूप **चयनित उम्मीदवार को जूनियर रेसीडेंट** के पद पर 1 वर्ष की अवधि (Tenure) के लिये नियत वेतन क्रमशः जूनियर रेसीडेन्ट, रू.–36000/–(Fixed Pay) प्रतिमाह पर नियुक्त की जाती है। **(दिनॉक 19/06/2018 को जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों के पूर्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार उपरांत निम्ननिखित अभ्यार्थी का चयन किया गया है।)**

कमांक	विषय	चयनित जूनियर रेसिडेंट	श्रेणी
1	जनरल मेडिसिन	डॉ प्रवीन नागेश	अनारक्षित
		डॉ भेदराज चौधरी	अनुसूचित जाति

1. सिर्फ (Bonded Candidates) बचन बद्व उम्मीदवारों हेतु म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4–7/2010/1/55 भोपाल दिनांक 25/08/2010 के तहत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों का चयन विभाग के अधीन – शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट/प्रदर्शक के पद पर हो जाता है, उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड/अधिसूचित क्षेत्र में से के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाए कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक उक्त महाविद्यालयों में सेवा करेंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने के स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्ते लागू हो जायेंगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी। इस हेतु चयनित उम्मीदवार को 10/– रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न अंडरटेकिंग प्रारूप निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. जूनियर रेसीडेंट की (Tenure) 3 वर्ष की अवधि होगी। इनकी प्रथमतः 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जायेगी। तत्पश्चात् सेवाएं संतोषजनक पाये जाने पर 1 वर्ष हेतु समय बढ़ाया जा सकेगा।
3. यह नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष के लिये होगी और उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट आने पर फिर 12 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया जायेगा। प्रत्येक 1 वर्ष हेतु अगर किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो उस हालत में रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा। जिन चिकित्सकों की नियुक्ति इस प्रकार से समाप्त हो जाती है उन्हें दुबारा आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. इन चिकित्सकों को 1 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साथ ही उन्हें सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा।
5. जूनियर रेसीडेंट की नियुक्ति में आरक्षण का पूर्णरूपेण पालन किया गया है।
6. जूनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
7. कार्य ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरांत दिनॉक **26/06/2018** तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
9. जूनियर रेसीडेंट को चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक चिकित्सा सेवाऐं (सी.एम.ओ. ड्यूटी) ली जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, छिंदवाड़ा.

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

क्रमांक 549 / स्था / राज / 18 /　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 19 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल म. प्र.।
5. स्थानीय लेखा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की ओर।
6. चयनित प्रत्याशी की ओर पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner